वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून, 2017-ज्येष्ठ 19, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रजिया सुल्तान पिता अहमदउल्ला था. विवाह के बाद मेरा नाम रजिया सिद्दीकी पति अंसार सिद्दीकी हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(रजिया सुल्तान)

नया नाम :
(रजिया सिद्दीकी)
अबाड़पुरा, एस.ए.एफ. ग्राउण्ड,
कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.

(145-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, केश बहादुर पुर्जा वर्तमान में शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में जूनियर मशीन मैन के पद पर पदस्थ हूँ, मेरे सर्विस रिकॉर्ड में नियुक्ति के समय केश बहादुर पुरिया त्रुटिवश लिखा गया. अतः अब इसके स्थान पर मेरे सर्विस रिकॉर्ड में/अन्य सभी अभिलेखों में मेरा नाम केश बहादुर पुर्जा सुधार किया जाये.

पुराना नाम :
(केश बहादुर पुरिया)
(KESH BAHADUR PURIA)

नया नाम :
(केश बहादुर पुर्जा)
(KESH BAHADUR PURJA)

(146-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to inform that my name in my Educational Marksheets is mentioned as GULBAG SINGH RATHORE. In my police service record my name is mentioned as GULBAGH SINGH RATHORE (गुलबाग सिंह). In my other documents my name appears as GULBAGH SINGH, which is being recognised and used presently and will be used in future. Now I will be known by my name as GULBAGH SINGH (गुलबाग सिंह).

Old Name:
(GULBAG SINGH RATHORE)
(गुलबाग सिंह)

New Name :
(GULBAGH SINGH)
(गुलबाग सिंह)

(138-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित हो कि मेरा विवाह पूर्व नाम कु. वृन्दा कुलकर्णी पुत्री श्री विठ्ठल कुलकर्णी था. विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती अश्विनी मंथनकर हो गया है. भविष्य में यही नाम मेरे जहां भी जरूरत पड़े वहां काम में जाना जाये.

पुराना नाम :
(कु. वृन्दा कुलकर्णी)

नया नाम :
(अश्विनी मंथनकर)
पता—पाटनकर बाजार, लश्कर,
ग्वालियर.

(133-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी मार्कशीट में मेरा नाम धर्मेन्द्र (DHARMENDRA) अंकित है. पी.एस.यू. (एस.बी.आई.) में आने के उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर धर्मेन्द्र कुमार कजबे (DHARMENDRA KUMAR KAJBE) रख लिया है जो कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं बैंक द्वारा प्रदत्त एन.ओ.सी. एवं बैंक पासबुक में भी अंकित है.

यहकि, अब भविष्य में मुझे धर्मेन्द्र कुमार कजबे (DHARMENDRA KUMAR KAJBE) के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(धर्मेन्द्र)
(DHARMENDRA)

नया नाम :
(धर्मेन्द्र कुमार कजबे)
(DHARMENDRA KUMAR KAJBE)
पुत्र श्री रामदास कजबे,
निवासी-फ्लेट नं. 902, ब्लॉक ब्लू बेरी-बी, डी.बी. सिटी,
सचिन तेंदुलकर मार्ग, न्यू सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(134-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. भगवानदास पुरूषोत्तमदास दुकान नं. 462, वार्ड नं. 11, किला रोड, चौक बाजार, बुरहानपुर भागीदारी फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है:-

फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार :- दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 से

1. श्री प्रवीण कापडिया पिता स्व. श्री रतीलाल कापडिया
2. श्री प्रफुल्ल कापडिया पिता स्व. श्री भगवानदास कापडिया
3. श्री संदीप कापडिया पिता श्री हरीदास कापडिया

फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं एवं

फर्म से पृथक् (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार:- दिनांक 18 अक्टूबर 2007 से

1. श्री भगवानदास पिता श्री पुरूषोत्तमदास कापडिया (निधन पश्चात्)
2. श्रीमती जामुवंतीबेन पति स्व. श्री रतिलाल कापडिया
3. श्रीमती पुष्पाबेन पति श्री हरीदास कापडिया

दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 से मे. भगवानदास पुरूषोत्तमदास फर्म में निम्न भागीदार हैं:-

1. सतीशचंद्र कापडिया पिता स्व. श्री पुरूषोत्तमदास कापडिया
2. श्री प्रवीण कापडिया पिता स्व. श्री रतिलाल कापडिया
3. श्री प्रफुल्ल कापडिया पिता स्व. श्री भगवानदास कापडिया
4. श्री संदीप कापडिया पिता श्री हरीदास कापडिया

वास्ते-मे. भगवानदास पुरूषोत्तमदास,
सतीशचंद्र कापडिया,
(भागीदार).

(143-बी.)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स मूँदड़ा सेल्स एजेन्सीज स्थित-सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) में दिनांक 31 मार्च, 2017 की समाप्ति से दीपक मूँदढ़ा (एच.यू.एफ.) भागीदार-साझेदारी से पृथक् हो गये हैं. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से दीपक मूँदढ़ा पुत्र श्री मनमोहन मूँदड़ा साझेदारी फर्म में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्मिलित किये गये हैं.

द्वारा-मूँदड़ा सेल्स एजेन्सीज,

मनमोहन मूँदड़ा,	**दीपक मूँदड़ा,**	**अर्पित मूँदड़ा,**	**अभिषेक मूँदड़ा,**
(साझेदार),	(साझेदार),	(साझेदार),	(साझेदार),

सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(137-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मे. अग्रवाल डेवलपर्स एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि दिनांक 11 जुलाई, 2007 को निर्मित हुई थी, जिसका फर्म एण्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00132/08 है. उक्त फर्म में 6 पार्टनर थे जो कि इस प्रकार हैं:-

1. श्री महेश गर्ग S/o श्री रामजी लाल गर्ग, उम्र 60 वर्ष, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
2. श्री अजय बंसल S/o स्व. श्री श्रीराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी 2-A, द्वारिकापुरी, ग्वालियर.
3. श्रीमती मीना अग्रवाल W/o श्री जगदीश अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
4. श्रीमती पद्मा बंसल W/o श्री अजय बंसल, उम्र 54 वर्ष, निवासी 2-A, द्वारिकापुरी, ग्वालियर.
5. श्रीमती संगीता अग्रवाल W/o श्री मुकेश अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
6. अजय बंसल & संस वाया करता श्री अजय बंसल S/o स्व. श्री श्रीराम बंसल, उम्र 55 वर्ष, निवासी S-35, संजय कॉम्प्लेक्स, ग्वालियर है.

उक्त फर्म में 31 जनवरी, 2012 के संशोधन संलेख उपरांत उक्त फर्म से पार्टनर क्र. 1,2,4 एवं 6 पार्टनरशिप फर्म से रिटायर एवं 1. श्री रमेश चंद्र अग्रवाल S/o स्व. श्री नारायण दास अग्रवाल, उम्र 66 वर्ष, निवासी श्री राधा अपार्टमेंट, पिछारी दियोड़ी, लश्कर, ग्वालियर. 2. श्री दीपक अग्रवाल S/o श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, उम्र 37 वर्ष, निवासी श्री राधा अपार्टमेंट, पिछारी दियोड़ी, लश्कर, ग्वालियर. 3. श्री राम बाबू अग्रवाल S/o श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी श्री राधा अपार्टमेंट, पिछारी दियोड़ी, लश्कर, ग्वालियर. 4. श्री सतीश अग्रवाल S/o श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी श्री राधा अपार्टमेंट, पिछारी दियोड़ी, लश्कर, ग्वालियर उक्त दिनांक से फर्म में सम्मिलित हो गये थे. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल, 2012 के संशोधन संलेख से उक्त फर्म मे. अग्रवाल डेवलपर्स से पार्टनर श्रीमती मीना अग्रवाल W/o श्री जगदीश अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर एवं श्रीमती संगीता अग्रवाल W/o श्री मुकेश अग्रवाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को रिटायर हो गये हैं.

अतः संशोधन पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2012 एवं 01 अप्रैल, 2012 के संशोधन के उपरांत रिटायर हुए पार्टनर का इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है. उक्त संबंध में समस्त आमखास को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हित रखता है, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मुझ सूचनादाता को मय सुसंगत दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् मेरे पक्षकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा आपत्ति प्रभावहीन मानी जावेगी. द्वारा अभिभाषक विवेक बाथम (एडवोकेट), पारख जी का बाड़ा, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

For M/s Agrawal Developers,
दीपक,
(Partner),

(135-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मेसर्स शुभ-लाभ रियलिटिज जिसका पता-114, सुखदेव नगर, एक्स. 1, एरोड्रम रोड, इन्दौर एवं पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00186/09, दिनांक 28 जनवरी, 2009 से एक भागीदारी फर्म है. उक्त भागीदारी फर्म में हम 1. श्री कृष्ण किशोर तिवारी पिता श्री मन्नूलाल तिवारी, 2. श्रीमती विनिता पारेख पति श्री समीर पारेख एवं 3. श्रीमती करूणा अग्रवाल पति श्री जगदीश अग्रवाल तीन भागीदार थे. जिसमें से दिनांक 20 अप्रैल, 2017 से 1. श्रीमती विनिता पारेख अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं. अब इस फर्म का संचालन 1. श्री कृष्ण किशोर तिवारी एवं 2. श्रीमती करूणा अग्रवाल कर रहे हैं एवं अब हम दोनों भागीदारों ने आपसी सहमति से फर्म का पता परिवर्तित कर नया पता-310, रॉयल डामण्ड, 3 यशवन्त कॉलोनी, वाय.एन. रोड, इन्दौर, म.प्र. कर लिया है.

वास्ते-मेसर्स शुभ-लाभ रियलिटिज,
कृष्ण किशोर तिवारी,
(भागीदार).

(136-बी.)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एन.आर. एसोसिएट्स, रजिस्टर्ड कार्यालय राज हाउस, ई-47-48, मन्नीपुरम कॉलोनी, चार इमली एरिया, रविशंकर नगर, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00136/13, दिनांक 06 जून, 2013. उक्त फर्म की भागीदारी में श्रीमती सुमंगला भण्डारी पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी, उम्र 53 वर्ष, निवासी ई-5/193, बी-1, अरेरा कॉलोनी, भोपाल फर्म d sHkkxhnkj d s: i eafhuld 29 eb2 2017 1 sl ffefy r (Induct) की गयी है एवं भागीदार श्रीमती निष्ठा पचौरी पत्नि श्री गौरव पचौरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी-पी-6, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सनसिटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल फर्म की भागीदारी से दिनांक 29 मई, 2017 से निवृत्त (Retired) हो गयीं हैं.

(1) राजेन्द्र कुमार भण्डारी,
(2) सुमंगला भण्डारी, (3) श्रीमती निष्ठा पचौरी,
(भागीदार).

(139-बी.)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अलायना इंडस्ट्रीज, रजिस्टर्ड कार्यालय सी-35, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00308/14, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014. उक्त फर्म की भागीदारी में श्रीमती निष्ठा पचौरी पत्नि श्री गौरव पचौरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी-पी-6, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, सनसिटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल फर्म के भागीदार के रूप में दिनांक 29 मई, 2017 से सम्मिलित (Induct) की गयीं हैं एवं श्रीमती सुमंगला भण्डारी पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार भण्डारी, उम्र 53 वर्ष, निवासी ई-5/193, बी-1, अरेरा कॉलोनी, भोपाल फर्म की भागीदारी से दिनांक 29 मई, 2017 से बाहर (Retired) हो गयीं हैं.

(1) सुनील शर्मा,
(2) श्रीमती निष्ठा पचौरी, (3) सुमंगला भण्डारी,
(भागीदार).

(140-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एराईज फार्मा स्थित शॉप नं. बी-4, प्लॉट नं. 119, इनारा हाऊस, रायसेन रोड, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00003/05/05, दिनांक 02 अप्रैल, 2015 है, जिसमें दिनांक 05 फरवरी, 2010 को भागीदार प्रवीण पाटिल पुत्र श्री मौरेश्वर पाटिल, निवासी रायसेन रोड, भोपाल के फर्म से पृथक् हो जाने के कारण फर्म भंग/समाप्त हो गई है, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स एराईज फार्मा,
दीपक बलवानी,
(भागीदार).
रायसेन रोड, भोपाल.

(141-बी.)

आम सूचना

मेरे पक्षकार "मेसर्स अर्थ स्टोन" जिसका वर्तमान पता म.नं. 107, फेस-5, अयोध्या नगर, भोपाल की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि (1) श्री आशीष रघुवंशी आत्मज श्री महेश रघुवंशी, (2) श्री अभिषेक रघुवंशी आत्मज श्री कैलाश रघुवंशी एवं (3) श्री कविन्द्र रघुवंशी आत्मज श्री आर.बी. रघुवंशी ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को "मेसर्स अर्थ स्टोन" के नाम से भागीदारी फर्म का गठन किया गया था, जिसमें संशोधित भागीदारी फर्म दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के अनुसार उक्त फर्म में से (1) श्री आशीष रघुवंशी आत्मज श्री महेश रघुवंशी, (2) श्री अभिषेक रघुवंशी आत्मज श्री कैलाश रघुवंशी उक्त दोनों भागीदार फर्म से रिटायर्ड हो गये तथा नये भागीदार श्री ऋषिराज सिंह तोमर आत्मज श्री जगदीश सिंह तोमर, निवासी-ए-98, पद्मनाभ नगर, भोपाल को फर्म में दिनांक 03 अप्रैल, 2017 से भागीदार हो गये हैं. फर्म में (1) श्री ऋषिराज सिंह तोमर आत्मज श्री जगदीश सिंह तोमर, (2) श्री कविन्द्र रघुवंशी आत्मज श्री आर.बी. रघुवंशी बचे हैं. उपरोक्त दोनों भागीदारों के अतिरिक्त अन्य भागीदार से किसी भी प्रकार का लेन-देन व संव्यवहार न करें एवं फर्म का नया पता-मेसर्स अर्थ स्टोन, ए-192, शाहपुरा, भोपाल हो गया है.

मोहित जैन,
(अधिवक्ता),
एफ-6, जयदीप कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 112,
जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल.

(142-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे. श्री राधा प्रिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से निम्न परिवर्तन हो गया है.

ऐसा इस फर्म में दो नई भागीदारी श्री रोहित पांडे आत्मज रूपनारायण पांडे तथा चैतन्य कृष्ण पांडे आत्मज संतोष कुमार पांडे शामिल हो गये हैं. यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो फर्म के भागीदार से संपर्क करें.

श्री राधा प्रिया ट्रांसपोर्ट कंपनी,
राजेश कुमार पांडे,
(भागीदार),
प्राईवेट बस स्टेण्ड, सागर,

(144-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, वृत भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई, 2017

प्र. क्र. 0005/बी-113/16-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

क्र. 888/रीडर/नजूल/2017.—जैसाकि आवेदक श्री रवि प्रकाश मड़वैया, कार्यकारी अध्यक्ष, निवासी-127, मारवाड़ी रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा "श्री दिगम्बर जैन पुण्यधाम ट्रस्ट" पता-8-ए, ओमशिव नगर, फेस-2, गुफा मंदिर रोड, नयापुरा लालघाटी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2017 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत दिनांक पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री दिगम्बर जैन पुण्यधाम ट्रस्ट" पता-8-ए, ओमशिव नगर, फेस-2, गुफा मंदिर रोड, नयापुरा लालघाटी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	संस्था की प्रारंभिक अचल सम्पत्ति - निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

प्रदीप कुमार शर्मा,
रजिस्ट्रार.

(1277)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "पिल्लर ऑफ ह्युमिनीटी" पता-313-बी, सेवा सरदार नगर, बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर (मध्यप्रदेश) तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री प्रभुति सुइतार पिता पबन सुइतार निवासी-15/202, यशवंत निवास रोड, इन्दौर द्वारा "पिल्लर ऑफ ह्युमिनीटी" पता-313-बी, सेवा सरदार नगर, बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"पिल्लर ऑफ ह्युमिनीटी"
पता	:	कार्यालय पता-313-बी, सेवा सरदार नगर, बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है तथा न्यास द्वारा रुपये 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार मात्र) के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(1278)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक NUMISMATIC RESEARCH TRUST पता-102, डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, 3/4, न्यू पलासिया, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री गिरीश पिता रूपनारायण शर्मा निवासी-101, ए-1, शहनाई रेसीडेन्सी, ए.बी. रोड, इन्दौर द्वारा NUMISMATIC RESEARCH TRUST पता-102, डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, 3/4, न्यू पलासिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	NUMISMATIC RESEARCH TRUST
पता	:	कार्यालय पता-102, डायमण्ड ट्रेड सेन्टर, 3/4, न्यू पलासिया, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है तथा चल सम्पत्ति में न्यास के पास 5,100/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) है, जो ट्रस्ट के द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मालवा परिसर, इन्दौर में जमा किये गये हैं.

आज दिनांक 03 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1279)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "जय गुरूदेव आश्रम प्रबंधन ट्रस्ट" पता-खसरा नम्बर 41, ग्राम मिर्जापुर, तेजाजी नगर, चौराहा, बायपास रोड, तहसील एवं जिला इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री चतरसिंह पिता श्री रघुवीरसिंह राजावत निवासी-60/51, न्यू देवास रोड, इन्दौर द्वारा "जय गुरूदेव आश्रम प्रबंधन ट्रस्ट" इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"जय गुरूदेव आश्रम प्रबंधन ट्रस्ट"
पता	:	कार्यालय पता-खसरा नम्बर 41, ग्राम मिर्जापुर, तेजाजी नगर, चौराहा, बायपास रोड, तहसील एवं जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है तथा चल सम्पत्ति में न्यास के पास 51,000/- (अक्षरी रुपये इक्कावन हजार मात्र) है, जो ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा प्रदत्त राशि है.

आज दिनांक 03 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1280)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक ABUNDANT LIFE MINISTRIES पता-377 बी, विदुर नगर, अहीरखेड़ी रोड, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विजु पोलसे निवासी-377 बी, विदुर नगर, अहीरखेड़ी रोड, इन्दौर द्वारा ABUNDANT LIFE MINISTRIES पता-377 बी, विदुर नगर, अहीरखेड़ी रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ABUNDANT LIFE MINISTRIES
पता	:	कार्यालय पता-377 बी, विदुर नगर, अहीरखेड़ी रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है चल सम्पत्ति में न्यास के पास 4,000/- (अक्षरी रुपये चार हजार) नगद है.

आज दिनांक 09 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1281)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक KARUNA JANJATI VIKAS TRUST पता-सनसाईन अपार्टमेंट नं. 11/12, अनूप नगर, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री खुमसिंग पिता श्री रूपसिंग कछावें, निवासी-502, सनसाईन अपार्टमेंट नं. 11/12, अनूप नगर, इन्दौर द्वारा KARUNA JANJATI VIKAS TRUST पता-सनसाईन अपार्टमेंट नं. 11/12, अनूप नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	KARUNA JANJATI VIKAS TRUST
पता	:	कार्यालय पता-सनसाईन अपार्टमेंट नं. 11/12, अनूप नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल-अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 09 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1282)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरी दादावाडी ट्रस्ट, इन्दौर" पता-190-ए, तिलक नगर, एक्सटेंशन, इन्दौर तर्फे अनिल मेहता पिता स्व. श्री भगंवतसिंह मेहता, पता-635, मेहता रोड, इन्दौर द्वारा "खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरी दादावाडी ट्रस्ट, इन्दौर" (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरी दादावाडी ट्रस्ट, इन्दौर" (मध्यप्रदेश)
पता	:	कार्यालय पता-190-ए, तिलक नगर, एक्सटेंशन इन्दौर, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति राशि रुपये 5,500/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार पाँच सौ मात्र) है, जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है तथा अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

बिहारीसिंह,
पंजीयक.

(1283)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा

प्र. क्र. 03/बी-113 (1)/2016-17.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष-पंजीयक लोक न्यास-बड़वाहा.

चूँकि प्रार्थी श्री महन्त मंगलदास खाकी गुरू श्री फक्कडदास जी, निवासी-319, नवरतन बाग रोड, बड़ी ग्वालटोली, इन्दौर, जिला इंदौर की ओर से "श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर ग्राम नावघाटखेड़ी ट्रस्ट" ग्राम नावघाटखेड़ी, तहसील बड़वाहा, जिला खरगौन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
01	नगद	-	-	-
02	अचल सम्पत्ति	-	-	-

एम. आर. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1284)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर, जिला-ग्वालियर

प्र.क्र./06/बी-113(1)/2016-17. ग्वालियर, दिनांक 11 मई, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक हरिशचन्द्र पिपरिया पुत्र स्व. श्री बसंतलाल पिपरिया आदि निवासी 5, तानसेन नगर, ग्वालियर, तहसील व जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश के द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 को "मुक्तिधाम जीर्णोद्धार एवं संरक्षण न्यास" स्थित मुक्तिधाम जीर्णोद्धार एवं संरक्षण न्यास, चार शहर का नाका, तहसील व जिला ग्वालियर ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 13 जून, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता हूँ.

अत: मैं, पंजीयन, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 13 जून, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम और पता	:	"मुक्तिधाम जीर्णोद्धार एवं संरक्षण न्यास" चार शहर का नाका, ग्वालियर.
चल सम्पत्ति	:	3,35,129/- रुपये
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

विजय राज,
पंजीयक.

(1285)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगौन

रा. प्र. क्र. 06/बी-113 (1)/2016-17. प्रो. क्र. /16-17.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष-पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष "माँ पद्मादेवी भिलटदेव संस्थान ग्राम तिरी" द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल सम्पत्ति	निरंक	निरंक
02	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक

(1296)

रा. प्र. क्र. 05/बी-113 (1)/2016-17. प्रो. क्र. /16-17.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष-पंजीयक लोक न्यास.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष "सर्वकल्याण फाउण्डेशन खरगोन" द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
01	चल सम्पत्ति	निरंक	निरंक
02	अचल सम्पत्ति	निरंक	निरंक

महेन्द्रसिंह कवचे,
(1297) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल

शहडोल, दिनांक 27 मई, 2017

धनपुरी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंतिम प्रकाशन हेतु सूचना

क्र./189/नग्रानि/2017.—धनपुरी निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 (1) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) पृ. क्र. 828, दिनांक 7 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं. इस संबंध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं. धनपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट है-

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम कटकोना, पकरिया एवं साबो ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झगरहा एवं अमलई की पूर्वी सीमा तक
दक्षिण में	:	ग्राम अमलई एवं बॅगवार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बॅगवार, सरईकापा अहिरगवॉ एवं विक्रमपुर की पश्चिमी सीमा तक.

अत: उपरोक्त धनपुरी निवेशक्षेत्र के लिये वर्तमान भू-उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है उसकी एक प्रति निम्न कार्यालयों में दिनांक 30-05-2017 से दिनांक 09-06-2017 तक कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

(1) संभागीय आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल मध्यप्रदेश,

(2) कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश,

(3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश,

(4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढार, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

(5) उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल मध्यप्रदेश.

आर. के. पाण्डेय,
संयुक्त संचालक,
(1286) वास्ते उप-संचालक.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, होशंगाबाद

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण.—वन परिक्षेत्र अधिकारी, सोहागपुर (सा.) के पत्र क्रमांक/555, दिनांक 17-02-2017 के प्रतिवेदन अनुसार पार्श्व अंकित आकृति का निम्नांकित हेमर कूप क्र. V साकोट एस. सी. आई कूप मार्किंग कार्य हेतु चालान क्रमांक 04, दिनांक 28-03-2017 से प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र सहायक उत्तर डोलरिया श्री वी. एल. डोले से उक्त हेमर दिनांक 08 अप्रैल, 2017 को मार्किंग करते समय कहीं गुम हो गया. हेमर खो जाने का हर संभव प्रयास किये जाने के बाद भी हेमर प्राप्त नहीं हो सका. जिसकी लिखित सूचना पुलिस चौकी सेमरी हरचंद थाना सोहागपुर को दी गई.

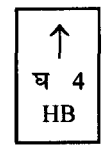

अतः उक्त हेमर के संबंध में निम्न आदेश दिया जाता है कि-

आदेश

आदेश क्रमांक/मा.चि./218 होशंगाबाद, 22 मई, 2017

वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त मार्किंग हेमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेखों में अपलेखित किया जाता है तथा हेमर का मूल्य 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) की राशि श्री बी. एल. डोले, परिक्षेत्र, सहायक वन परिक्षेत्र, सोहागपुर से एक मुश्त वसूल वेतन से वसूल करते हुये, परिक्षेत्र सहायक, उ. डोलरिया द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

तथा उक्त आकृति का हेमर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो थाने में जमा कर देवे या नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में सूचना देवे, उक्त हेमर का अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना अथवा उपयोग करना अवैधानिक होगा एवं उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी.

विजय सिंह,
वनमंडलाधिकारी.

(1293)

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., अनभौरा	408/01-03-1968	474/16-02-2015
2.	श्रीराम मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, तिजारपुर	587/16-09-2011	710/06-04-2016
3.	महाबली खदान/खनिज मजदूर संस्था, पिछोर	560/05-01-2010	708/06-04-2016
4.	धायमहादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खोड	596/06-02-2013	717/06-04-2016
5.	जय शिव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, शिवपुरी	668/06-05-2016	1211/04-05-2017
6.	राधे प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, शिवपुरी	689/06-05-2016	1212/04-05-2016

अतः उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 22 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

डी. के. मडोइया,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(1287)

कार्यालय, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, भटनावर	680/09-08-2016	2885/09-12-2016
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, सोनहर	687/12-08-2016	2884/09-12-2016
3.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, गाजीगढ	684/12-08-2016	2883/09-12-2016
4.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, भानगढ	689/12-08-2016	2882/09-12-2016
5.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, बरखाडी	679/09-12-2016	2881/09-12-2016

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड हो तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 22 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एन. एस. बरेलिया,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(1287-A)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 17 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सचिव,
मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी समिति
प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2017/957.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी समिति प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 18 जून, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार-

1. श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर एवं प्रशासक मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी समिति प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज, सागर द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है कि संस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है. संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु प्रस्तुत कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है.

अत: उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी समिति प्रिंटिंग प्रेस मर्या., गोपालगंज, सागर को

यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1288)

सागर, दिनांक 17 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सचिव,
जय श्रीराम बीज उत्पादक
सहकारी समिति मर्या., बिछिया उदयपुरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2017/958.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जय श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछिया उदयपुरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 155, दिनांक 20 मई, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बन्द करते हुये सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार-

1. श्री यूजिन रावर्ट, उप-अंकेक्षक को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्र./सह.नि.प्रा./निर्वा.-2/2016/5022, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा स्वप्रेरणा से संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची के रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है. किन्तु संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सदस्यता सूची प्रदाय नहीं की गई है, न ही निर्वाचन में कोई सहयोग किया जा रहा है.

अत: उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछिया उदयपुरा को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1288-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1160.—शिवशक्ति मत्स्य उद्योग सह. समिति, होशंगाबाद, पंजीयन क्र. 3197, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शिवशक्ति मत्स्य उद्योग सह. समिति, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1161.—दैनिक साख सह. समिति, होशंगाबाद, पंजीयन क्र. 3109, दिनांक 07 जून, 2014 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/290, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दैनिक साख सह. समिति, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-A)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1162.—समृद्धि साख सह. समिति, होशंगाबाद, पंजीयन क्र. 3182, दिनांक 07 मई, 2015 को कार्यालय के पत्र

क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत समृद्धि साख सह. समिति, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-B)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1163.—श्रद्धा महिला साख सह. समिति मर्या., इटारसी, पंजीयन क्र. 2726, दिनांक 15 जनवरी, 2001 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्रद्धा महिला साख सह. समिति मर्या., इटारसी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-C)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1164.—गनेश मत्स्य सह. समिति मर्या., गनेश, पंजीयन क्र. 3162, दिनांक 16 फरवरी, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गनेश मत्स्य सह. समिति मर्या., गनेश को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-D)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1165.—जय दादाजी बेरोजगार साख सह. समिति मर्या., झूमर, पंजीयन क्र. 2937, दिनांक 31 मई, 2007 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय दादाजी बेरोजगार साख सह. समिति मर्या., झूमर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-E)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1166.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., माथनी, पंजीयन क्र. 2396, दिनांक 07 अगस्त, 1997 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., माथनी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-F)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1167.—माँ गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, खिड़िया, पंजीयन क्र. 2758, दिनांक 28 फरवरी, 2002 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, खिड़िया को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-G)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1168—जिझौतिया साख सह. समिति, इटारसी, पंजीयन क्र. 3035, दिनांक 30 जून, 2009 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जिझौतिया साख सह. समिति मर्या, इटारसी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-H)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1169.—प्रगति महिला साख सह. समिति मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्र. 2744, दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्रगति महिला साख सह. समिति मर्या., होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-I)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1170.—नर्मदांचल क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., बाबई, पंजीयन क्र. 3034, दिनांक 25 जून, 2009 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदांचल क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., बाबई को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-J)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1171.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति, कान्द्राखेड़ी, पंजीयन क्र. 3116, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कान्द्राखेड़ी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-K)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1172—भंडारण सह. समिति मर्या., पिपरिया, पंजीयन क्र. 3232, दिनांक 17 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि. / 2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत भंडारण सह. समिति मर्या., पिपरिया को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-L)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1173.—तवा मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या., नयागांव, पंजीयन क्र. 2457, दिनांक 07 मई, 1995 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या., नयागांव को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-M)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1174.—तवा मत्स्य उद्योग सह. समिति, माना, पंजीयन क्र. 2527, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या., माना को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-N)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1175.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति, रेहड़ा (सिवनी-मालवा), पंजीयन क्र. 3148, दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति, रेहड़ा (सिवनी-मालवा) को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-O)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1176—सुदर्शन बीज उत्पादक सह. समिति, निरखी (सिवनी-मालवा), पंजीयन क्र. 3049, दिनांक 16 जून, 2010 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सुदर्शन बीज उत्पादक सह. समिति, निरखी (सिवनी-मालवा) को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-P)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1177.—गुरू कृपा ईंधन आपूर्ति, डोलरिया, पंजीयन क्र. 3078, दिनांक 04 अगस्त, 2012 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गुरू कृपा ईंधन आपूर्ति सह. समिति, डोलरिया को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1178.—अहिल्या प्राथ. उप. भण्डार, इटारसी, पंजीयन क्र. 2515, दिनांक 03 जनवरी, 1995 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत अहिल्या प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., इटारसी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. पाटिल, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-R)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1179.—भाग्य श्री बीज उत्पादक सह. समिति, ठाड़िया, पंजीयन क्र. 3227, दिनांक 17 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत भाग्य श्री बीज उत्पादक सह. समिति, ठाड़िया परसवाड़ा को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दुबे, सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-S)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1180—भाग्यश्री साख सह. समिति, चीचली, पंजीयन क्र. 3187, दिनांक 08 मई, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि/2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत भाग्यश्री साख सह. समिति मर्या., चीचली को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-T)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1181.—श्री देव नारायण जैविक बीज सह. समिति, मूढ़ापार, पंजीयन क्र. 3174, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री देव नारायण जैविक बीज सह. समिति, मूढ़ापार को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-U)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1182.—दुग्ध उत्पादक सह. समिति, चांदौन, पंजीयन क्र. 3126, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., चांदौन को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-V)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1183.—हरिओम बीज उत्पादक सह. समिति, कलकुदी, पंजीयन क्र. 3224, दिनांक 17 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत हरिओम बीज उत्पादक सह. समिति मर्या, कलकुदी को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1289-W)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1184.—राधास्वामी महिला बहुउद्देशीय, सिंगपुर, पंजीयन क्र. 2794, दिनांक 01 जुलाई, 2003 को कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 द्वारा निम्नलिखित कारणों से धारा-69 (3) से परिसमापन में लाया जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था में पदस्थ प्रशासक को संस्था द्वारा चार्ज नहीं देने से प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
2. प्रशासक की अनुशंसा अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली गई है.
3. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सदस्यता सूची एवं अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं लेने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया गया है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर वर्णित आरोपों के संदर्भ में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समितियों को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत राधास्वामी महिला बहुउद्देशीय सह. समिति, सिंगपुर को परिसमापन में लाता हूं एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 05 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

घनश्याम डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1289-X)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 08 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

क्र./उपछि/परि./2017/1177.—निम्नलिखित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के द्वारा उक्त समितियों के निर्वाचन नहीं कराने के कारण उन्हें परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1	2	3	4
1.	धन लक्ष्मी साख प्राथ. सहकारी समिति मर्या., छिन्दवाड़ा	838/10-01-2014	छिन्दवाड़ा
2.	दि ग्रामीण कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हिरदेगढ़	185/06-02-1964	जुन्नारदेव
3.	श्रीगणेश गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सौसर	109/10-03-1986	सौसर
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिल्हेरा	290/24-05-1991	अमरवाड़ा
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेडीकला	814/10-01-2014	पांढुर्णा
6.	लछुआ दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., लछुआ	777/16-03-2012	अमरवाड़ा
7.	देवरीगंगाराम दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., देवरीगंगाराम	1036/29-09-2014	अमरवाड़ा
8.	टेमनीकला दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला	1046/20-10-2014	पांढुर्णा
9.	धमनिया दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., धमनिया	1049/23-04-2014	छिन्दवाड़ा
10.	नवलपुर दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., नवलपुर	1052/06-06-2015	हर्रई

अत: रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के अनुशंसा के आधार पर मैं, अनीता उइके, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के निर्वाचन ना कराये जाने के कारण क्यों न परिसमापन में लाये जाने के आदेश जारी कर दिये जावें, यदि संस्था इस संबंध में अपना पक्ष समर्थन चाहती है तो वह इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. यदि संस्था ने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदानुसार मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के परिसमापन आदेश जारी कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 8 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अनीता उइके,
उप-पंजीयक.

(1290)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 18 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क) के तहत्]

क्र./परि./2017/585.-संस्था सार्थक कामगार, कारीगर सह. समिति मर्या., खण्डवा के पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2017 के द्वारा सार्थक कामगार, कारीगर सह समिति मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2247, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के द्वारा उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रही है एवं संस्था अध्यक्ष द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था के कोई भी सदस्य रुचि नहीं ले रहे हैं. संस्था का परिसमापन में लाये जाने का निवेदन किया है, जिसके आधार पर कार्यालय के पत्र क्र./परि./2017/270, खण्डवा, दिनांक 20 मार्च, 2017 के द्वारा निम्न कारणों से क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इस बाबत् कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 30 दिवस में उत्तर चाहा गया था.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
3. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.
4. संस्था सदस्यों द्वारा भविष्य में भी कोई कार्य नहीं करने का विकल्प है.

निर्धारित समयावधि में उक्त बिन्दुओं पर संस्था के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से सहमत है. इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सार्थक कामगार, कारीगर सह समिति मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2247, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को परिसमापन में लाती हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री हरीशचंद महाजन, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त (सहकारिता), जिला खण्डवा को परिसमापक नियुक्त करती हूँ तथा आदेशित करती हूँ कि इस आदेश के तीन माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

(1291)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2017/230, मण्डला, दिनांक 28 फरवरी, 2017 के द्वारा बुढनेर बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सैलवारा, विकासखण्ड घुघरी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, के कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितिं द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियां जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत बुढनेर बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, सैलवारा, पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 14 जनवरी, 1992 को परिसमापन में लाता हूं तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री एस. के. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त करता हूं साथ ही यह भी आदेशित करता हूं कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(1292)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/1144.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1485, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1460 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. विदेही, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बाबा साहब अम्बेडकर चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1460 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(1294)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

डॉ. भीमराव अम्बेडकर साख सहकारी समिति मर्यादित, देवगांव, पं. क्र. 1373, दिनांक 01 मार्च, 2014, विकासखण्ड मोहगांव को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2373, मण्डला, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मोहगांव को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च, 2017 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, आलोक कुमार दुबे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आलोक कुमार दुबे,
सहायक रजिस्ट्रार.

(1295)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून, 2017-ज्येष्ठ 19, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2017

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के भिण्ड व सीधी जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील भिण्ड (भिण्ड) व गोपदवनास (सीधी) में एक मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, रायसेन, जबलपुर, मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला बैतूल में फसल गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, खरगौन, रायसेन, जबलपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-** . .

5. **कटाई.**- जिला सीधी, खरगोन व दमोह में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	14.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		मूँग, धान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का, चना, गेहूँ अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ. सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. *जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) कोदों-कुटकी, तुअर, राई, सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढार	. .				
5. जैतपुर	. .				
6. गोहपारू	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	6.8		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ कम. अलसी, चना, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	1.0				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्ठीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, कपास, गन्ना अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		ज्वार, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .		(2) . .		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जावरा	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. रेहटी	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, मसूर,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	चना, मटर, राई-सरसों की	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	बोनी का कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, तुअर, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		मसूर, राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बजाग	. .		(2) . .		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .				
3. परासिया	. .		(2) . .		
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चाँद	. .				
10. बिछुआ	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
13. उमरेठ	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .		(2) . .		
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				
7. खैरलांजी	. .				
8. लालबर्रा	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				

टीप.-*जिला रीवा, सिंगरोली, नीमच, आगर, राजगढ़, नरसिंहपुर व डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1276)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.